फर्द अहकाम

सरजीराम सिंह बनाम लखन कुमार वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण

वाद संख्या 36/2024

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/3/24	यह वाद पत्र वादी की ओर से पेश श्री किशन लाल ने अन्तर्गत धारा 88 के तहत पेश किया। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर तलबी/प्रतिवादी. उभयों को रजि० ए०डी० द्वारा करवाई जावें पत्रावली दिनांक 2/5/24 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी [stamp]	1904-06 / 28/3/24
	2/5/24	पत्रावली पेश है। वकील वादी उप०। प्रतिवादी क्र. 1 व 2 उप० होकर [illegible] [illegible] पेश किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वादी को [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/5/24 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी [stamp]	लखन [illegible] [illegible]
	06/5/24	पत्रावली पेश है। वकील वादी उप० पत्रावली आदेश के लिये रखी हुई है। पत्रावली के अवलोकन वादी की वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादी [illegible] के बयान की आवश्यकता पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज० का० एक्ट की	

फर्द अहकाम

बनाम

ालय

।

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	स्वीकार किये जाने हेतु तथा विपक्षी नोटिस प्रपत्र के जरिये जवाब शामिल मिसल किया गया। नोटिस जारी हेतु इश्तहार मुनादी गया। पत्रावली पेश हुई [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] हो [illegible] [illegible] दाखिल [illegible] हो उप खण्ड अधिकारी [illegible]

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
36/2024	21/03/2024	06.05.2024

1. नरसी राम मीना पुत्र श्योचन्दा मीना जाति मीना निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0 303109

वादी

बनाम

1 लखन कुमार पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
2 हरिनारायण पुत्र श्योचन्दा जाति मीना निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता के पेश कर निवेदन किया किया कि वादी की वादग्रस्त खातेदारी भूमि खाता सं0 223 जिसके खसरा नम्बर 549 रकबा 0.1300है0, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.1900है0, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.1900है0, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.0200है0 खसरा नम्बर 588 रकबा 1.1600है0, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.1800है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.8700है0 ग्रामतन बूज पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण राज में स्थित है जो वादी की खातेदारी भूमि है। जिसमे वादी का शामलाती हिस्सा 1/15 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहे है। उक्त भूमि वादी की सामलाती भूमि है। जिसमें विरासत का नामान्तकरण खोला गया वादी का नाम नरसी पुत्र श्योचन्दा कर दिया जबकि वादी का पुरानाम नरसी राम मीना पुत्र श्योचन्दा है। उक्त वर्णित जमाबन्छी खाता सं0 223 में वादी का नाम नरसी पुत्र श्योचन्दा चला आ रहा है। जबकि वादी का पुरानाम नरसी राम मीना पुत्र श्योचन्दा है। यही ही समस्त दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार आदि में अंकित है। राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में वादी अपना नाम नरसी पुत्र श्योचन्दा के स्थान पर सहीनाम नरसी राम मीना पुत्र श्योचन्दा घोषित करवाने के लिये पूर्व मे कई बार तहसीलदार जमवारामगढ को प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन श्रीमान तहसीलदार ने उक्त नाम को दुरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय में धारा 88 आर.टी.एक्ट में दावा कर आदेश करवाकर लाने के बाद ही नाम दुरूस्त किया जाना सभव होगा। अत उक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम नरसी पुत्र श्योचन्दा जाति मीना हिस्सा 1/15 भाग के स्थान पर नरसी राम मीना पुत्र श्योचन्दा हि0 1/15 जाति मीना निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर घोषित किये जाने के आदेश किया जावें।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनाक 02.05.24 को उपस्थित होकर दावा बाबत सहमति पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(42)

किया गया। प्रतिवादी सं0 3 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/रीडर/ /2024/177 दिनांक 27.03.24 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बूज की खाता संख्या 223 खसरा नम्बर 549, 553, 58, 587, 588, 640 किता 6 कुल रकबा 1.87है0 में वादी का नाम नरसी पुत्र श्योचन्दा हिस्सा 1/15 जाति मीणा सा0देह दर्ज है। तथा वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड में नरसीराम पिता श्योचन्दा मीना दर्ज है। वकील वादी व पैरोकार सरकर की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब, तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्रामतन बूज पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित आराजियात खाता सं0 223 जिसके खसरा नम्बर 549 रकबा 0.1300है0, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.1900है0, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.1900है0, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.0200है0 खसरा नम्बर 588 रकबा 1.1600है0, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.1800है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.8700है0 मे वादीगण का हिस्सा 1/15 में वादी का नाम नरसी पुत्र श्योचन्दा जाति मीना के स्थान पर नरसी राम मीना पुत्र श्योचन्दा जाति मीना खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि वादी नरसी पुत्र श्योचन्दा जाति मीना के स्थान पर नरसी राम मीना पुत्र श्योचन्दा जाति मीना राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। वादी का हिस्सा यथावत रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 06.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ